मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम 30)

अज अदालत ..... सिकराय .....

सरकार बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु0 नं0 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.4	[illegible] 15.3.2021 से पक्षा है)	
15.4	प्रार्थी/अनावेदिकगण [illegible] जवाब स्टेट प्राप्त। वहां दावा सूची गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 7.4.21 को पेशहो। पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वहां वादी एवं जवाब स्टेट का अवलोकन किया गया। जवाब स्टेट अनुसार वादीगण की दावा रांदेरा की पत्रावली सं. 2019-72 में खातेदार के रूप में दर्ज हैं। जबकि वर्तमान पत्रावली में विपक्षी राजस्थान का नाम पुनः पत्रावली में दर्ज कर दिया गया है। अतः दावा रांदेरा के खाता सं. 158/164 के रकबे 404 (.48 है.) में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सीकराय को दिया जाता है। जवाब स्टेट दि. 15.3.21 निर्णय का भाग रहेगा।	

(रणजीत सिंह)
7.4.21